❖ कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) ❖

पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर–302016 e-mail dcfjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :– एफ( ) FCA/उवसंजउ / 2021–22 / 1381 दिनांक 14-02-2022

निमित्त,

अधिशाषी अभियंता,
सा0 नि0 विभाग,
जिला खण्ड–बस्सी (जयपुर)।

विषयः– प्रस्ताव ''Upgradation of Road from Bhanpura Kalan to Gol Via Nagal Tulsidas, Toda Meena, Tala, Jaichandpura , Gathwari, Bobari , Under PMGSY-III, District -Jaipur (Rajasthan)& FP/RJ/ROAD/149378/2021 के कम में।

सन्दर्भः– आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 1605 दिनांक 18.01.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के संलग्न कर आप द्वारा जमा कराये गये प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियां पाई गई है :–

1. पत्रावली के पेज नं0 19 व अन्य पृष्ठों पर लगे Justification/Undertakings में दोनों वन मण्डलों का प्रत्यावर्तित होने वाला कुल वन क्षेत्र 4.584 है0 इकजाई दिखा रखा हैं। जिसे अलग–अलग वन मण्डलवार दिखाया जाना प्रस्तावित हैं।
2. पत्रावली के पेज नं0 51 पर लगाये गये खसरा मैप पर खसरा नं0 129 / 4 प्रदर्शित नही हो रहा है।
3. पत्रावली के पेज नं0 47 पर लगी टेबल (Statement showing details of forest area proposed for diversion) में चैनपुरावास डेडवाडी में खसरा नं0 129 / 4 है, जबकि पेज नं0 65 पर लगे नक्शें पर बनी टेबल में खसरा नं0 129 लिखा हुआ हैं।
4. इसी प्रकार पत्रावली के पेज नं0 47 पर ग्राम मातासुला में खसरा नं0 1042 व 1043 लिखा हैं। जबकि पेज नं0 65 पर लगे नक्शें पर बनी टेबल में 1042, 1043 व 1035 खसरा नं0 अंकित हैं।
5. पत्रावली के पेज नं0 65 पर लगे सुपरइम्पोज खसरा मैप पर व पेज नं0 66 पर लगे जी.टी. शीट मैप पर जी.पी. एस. कॉर्डिनेट नही लिखे हुये हैं।
6. पत्रावली अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले दी जाने वाली समतुल्य गैर वन भूमि हेतु शपथ–पत्र दिया गया है। अतः उक्त के क्रम में आप या आपका प्रतिनिधी क्षेत्रीय वन अधिकारी, अचरोल से सामान्जस्य स्थापित कर प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले दी जाने वाली विचाराधीन समतुल्य गैर वन भूमि जो वन भूमि से लगती हुईका निरीक्षण संयुक्त रूप से कर उक्त भूमि अतिक्रमण मुक्त व क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें। जिसके उपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा उक्त भूमि का निरीक्षण किया जा सके। तत्पश्चात् वन भूमि से लगती हुई एवं उपयुक्त होने पर उक्त भूमि को वन विभाग के नाम करवाने की कार्यवाही करवाकर उसका राजस्व नक्शा, जमाबंदी, जी0 टी0 शीट पर मार्क नक्शा, डिजिटल नक्शा, उसकी के0एम0एल0 फाईल व जी0पी0एस0 कॉडिनेट इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करें, ताकि उसकी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के प्रस्ताव व LAND SUITABILITY CERTIFICATE बनाये जा सके।

7. पूरे प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों के सारांश का दिया जाना प्रस्तावित हैं। उक्त के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, अचरोल से सामांजस्य स्थापित कर संयुक्त मौका रिपोर्ट बनवाकर प्रेषित करावें। जिसमें स्पष्ट टिप्पणी करें की इस प्रस्ताव में कितने वृक्ष काटे जायेगें।

उक्त बिन्दुओं पर सूचना आप युजर ऐजेन्सी से ली जानी प्रस्तावित है अतः उक्त बिन्दुओं की पूर्ति कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित करने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

संलग्न :— 4 सेट मुल पत्रावली।

(सुदीप कौर)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

क्रमांक :— एफ( ) FCA/उवसंजउ / 2020—21 /  दिनांक

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सहायक वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, अचरोल।

उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)